ओ०पी० सिंह

आई०पी०एस०

डी०जी० परिपत्र संख्या– **31/**2019

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश

टावर–2 पुलिस मुख्यालय

गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226001

दिनांक: जुलाई 18 ,2019

विषय: मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय की मानीटरिंग के अधीन अभियोगों की विवेचना के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय,

गुणवत्तापूर्ण, तथ्यपरक, त्रुटिरहित एवं समयबद्ध विवेचना के निस्तारण हेतु मुख्यालय स्तर से आप समस्त के मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु अनेक दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है, विभिन्न गोष्ठियों में भी इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी एवं सुझाव उपलब्ध कराये जाते रहे हैं परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों का सही ढंग से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। त्वरित एवं समयबद्ध विवेचना न किये जाने के कारण पुलिस बल को प्रायः न्यायपालिका, मीडिया एवं अन्य से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य अभियोगों की विवेचना हेतु हस्तपुस्तिका
डीजी परिपत्र सं0–01/19 दि0 02.01.2019
डीजी परिपत्र सं0–17/17 दि0 18.07.2017
डीजी परिपत्र सं0–40/16 दि0 17.07.2016
डीजी परिपत्र सं0–66/15 दि0 26.09.2015
डीजी परिपत्र सं0–31/15 दि0 28.04.2015
डीजी परिपत्र सं0–51/15 दि0 12.07.2015
डीजी परिपत्र सं0–52/15 दि0 12.07.2015

2. इस सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा पार्श्वांकित निर्गत परिपत्र अवलोकनीय हैं।

3. रिट याचिका संख्या–30394(एम/बी)/2017 कुवर शोभित सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.07.2019 द्वारा भू–माफियाओं से सम्बन्धित मामलों की विवेचना के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों के मुख्य अंश निम्नवत् हैं :–

> *"The investigation in all such cases should properly monitored so that the conclusions may be drawn at earliest and if somebody has committed offence, to be taken up as per the provisions of law. It is more so when series of cases are coming before the Court where proper investigation is not caused by the Police as and when allegation of land grabbing is made and that too in reference to the involvement of land mafia. The police administration needs to show concern in such matters."*

4. भू–माफियाओं के चिन्हीकरण एवं उनके विरुद्ध सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा पत्र संख्या 402/1–2–2017–1(सामान्य)/2017 दिनांक 01.05.2017 के माध्यम से आप [illegible] 'भू–माफिया टास्क फोर्स' के [illegible] [illegible] निर्देश निर्गत किये गये हैं [illegible]

Scanned by CamScanner

5 अतः पूर्व निर्गत निर्देशों के क्रम में निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैं :-

- मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय के [illegible] के अधीन [illegible] को पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-101 के अन्तर्गत विशेष रिपोर्ट मामला (S.R. Case) मानते हुए विवेचना का पर्यवेक्षण एवं अन्य कार्यवाही की जायेगी।
- अपर पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि चिन्हित भू-माफियाओं से सम्बन्धित मुकदमों की विवेचना अनुभवी तथा कुशल विवेचक द्वारा की जा रही है।
- चिन्हित भू-माफियाओं के विरुद्ध दर्ज मुकदमों में विवेचना ग्रहण करते ही अभियोग के विवेचक अपनी विवेचना योजना तैयार करेंगे तथा एक सप्ताह के अन्दर उसे सम्बन्धित अपर पुलिस अधीक्षक से अनुमोदित करायेंगे।
- चिन्हित भू-माफियाओं की विवेचना के लिए अपेक्षित अभिलेखों के राजस्व, रजिस्ट्रार कार्यालय, बैंक अथवा अन्य कार्यालयो से प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का समाधान विवेचक तथा सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।
- आवश्यकतानुसार सर्च सीजर एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जायेगी।
- चिन्हित भू-माफियाओं से सम्बन्धित अभिलेखों आदि का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से समन्वय स्थापित कर परीक्षण रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध प्राप्त किया जायेगा।
- चिन्हित भू-माफियाओं से सम्बन्धित मुकदमावार समीक्षा अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा की जायेगी।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक माह चिन्हित भू-माफियाओं के मुकदमों की विवेचना का मुकदमावार अनुश्रवण किया जायेगा।
- परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा चिन्हित भू-माफियाओं की मानीटरिंग परिक्षेत्रीय गोष्ठियों के माध्यम से की जायेगी।
- चिन्हित भू-माफियाओं से सम्बन्धित मुकदमों की विवेचना का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं तथ्यपरक तथा वैज्ञानिक निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय,

18/7/19

(ओ०पी० सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. [illegible] महानिदेशक, उ० प्र०।

Scanned by CamScanner